राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 103

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, शनिवार, 21 सितंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

कॉरपोरेट टैक्स की नई दर के साथ भारत दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों की न्यूनतम दरों से मुकाबले में आ गया है।
-निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री

मोदी सरकार का मिनी बजट : कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती, सरकार ने जारी किए अध्यादेश

उद्योग जगत को मिली सबसे बडी सौगात

निवेशकों के लिए आकर्षक जमीन तैयार

- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से स्पर्धा कर सकेगा देश
- भारत बनेगा मैन्यूफैक्चरिंग हब, चीन से जाने वाली कंपनियां करेंगी देश का रुख
- सीएसआर पर खर्च का दायरा भी सरकार ने बढ़ाया, नए सेक्टरों में बढ़ेगा निवेश

हरिकिशन शर्मा, पणजी (गोवा)

अर्थव्यवस्था के कई मोर्चों से मंदी की आ रही खबरों से चिंतित सरकार ने अब हर मोर्चे से इसके खिलाफ लामबंदी कर दी है। कर्ज की दर घटाने और बैंकों की तरफ से पर्याप्त कर्ज बांटने की व्यवस्था करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने व भारत को एक आकर्षक निवेश स्थल के तौर पर स्थापित करने के उद्देश्य से कॉरपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती का एलान किया। घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30 फीसद से घटाकर 22 फीसद की गई है, जबकि मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में निवेश करने वाली नई घरेलू कंपनियों को मात्र 15 प्रतिशत की दर से ही कॉरपोरेट टैक्स देना होगा।

घटी हुई इस दर का लाभ लेने वाली कंपनियों को टैक्स छूट के रूप में दूसरे प्रोत्साहनों का लाभ नहीं मिलेगा। खास बात यह है कि ऐसी घरेलू कंपनियों को मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स (मैट) भरने की जरूरत भी नहीं होगी। इन सभी फैसलों को लागू करने के लिए सरकार की तरफ से अध्यादेश जारी किए गए हैं। बहरहाल, इन छूटों की वजह से चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र सरकार के खजाने पर भारी भरकम 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। सरकार की तरफ से कॉरपोरेट सेक्टर को दिवाली से पहले दिए गये इस बोनांजा का चौतरफा असर दिखा। कॉरपोरेट जगत ने इसे पिछले दो दशकों की सबसे बेहतरीन घोषणा करार दिया तो शेयर बाजार ने 1921 अंकों की छलांग लगा कर निवेशकों के लौटते भरोसे को बताया। देश में विदेशी निवेश बढ़ने की संभावना देख भारतीय रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले 66 पैसे की मजबूती दर्ज की। बीते एक महीने में यह चौथा मौका है जब मोदी सरकार ने विकास दर की रफ्तार बढ़ाने के लिए उपायों का एलान किया है।

इसलिए उठाया कदम

देश की विकास दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में घटकर पांच फीसद रह गई, जो छह वर्षों का निचला स्तर है। उसके बाद से ही इस तरह के पैकेज की उम्मीद की जा रही थी। इन आंकड़ों में कृषि क्षेत्र से लेकर मैन्यूफैक्चरिंग तक अलग-अलग क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। उद्योग जगत काफी लंबे समय से कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की मांग कर रहा था।

ऐसे अमल में आएगा बदलाव

सरकार इनकम टैक्स एक्ट 1961 और फाइनेंस(नंबर 2) एक्ट 2019 में कुछ बदलाव करने के लिए टैक्सेशन लॉज (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस 2019 लाई है। वित्त मंत्री का कहना था, 'विकास दर और निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में एक नया प्रावधान जोड़ा है जो वित्त वर्ष 2019-20 से लागू होगा।

कंपनियों के लिए ये शर्त भी

शर्त यह होगी कि कंपनी किसी तरह के टैक्स छूट प्रोत्साहनों का लाभ नहीं ले सकेगी। ऐसी कंपनियों के लिए सरचार्ज और सेस सहित इनकम टैक्स की प्रभावी दर 25.17 प्रतिशत होगी। साथ ही इन कंपनियों को मैट देने की जरूरत भी नहीं होगी।

मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए...

अक्टूबर 2019 या उसके बाद बनने वाली नई घरेलू कंपनियां को नए निवेश पर सिर्फ 15 प्रतिशत की दर से इनकम टैक्स का भुगतान करने का विकल्प मिलेगा। इन कंपनियों को उत्पादन 31 मार्च 2023 से पहले शुरू करना होगा।

अगर घटी दरों का चुनाव नहीं करे कोई कंपनी तो....

जो कंपनियां कॉरपोरेट टैक्स की घटी हुई दरों का चुनाव नहीं करती हैं और टैक्स में छूट के रूप में मिल रहे प्रोत्साहनों को प्राप्त करना जारी रखती है तो वह पुरानी दर से ही कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान कर सकती है। हालांकि ऐसी कंपनियों को मिल रही टैक्स छूट की मियाद जब पूरी हो जाए तो ये कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान घटी हुई दरों के साथ करने का विकल्प चुन सकती हैं। एक बार यह विकल्प चुनने के बाद उन्हें 22 प्रतिशत की दर से कॉरपोरेट टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। जो कंपनियां मौजूदा टैक्स छूट को प्राप्त करना जारी रखती हैं, उनके लिए मैट की दर 18.5 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह जाएगी।

एक बड़ा फैसला (संपादकीय) पेज-8 | विशेष पेज-12 मिनी दिवाली

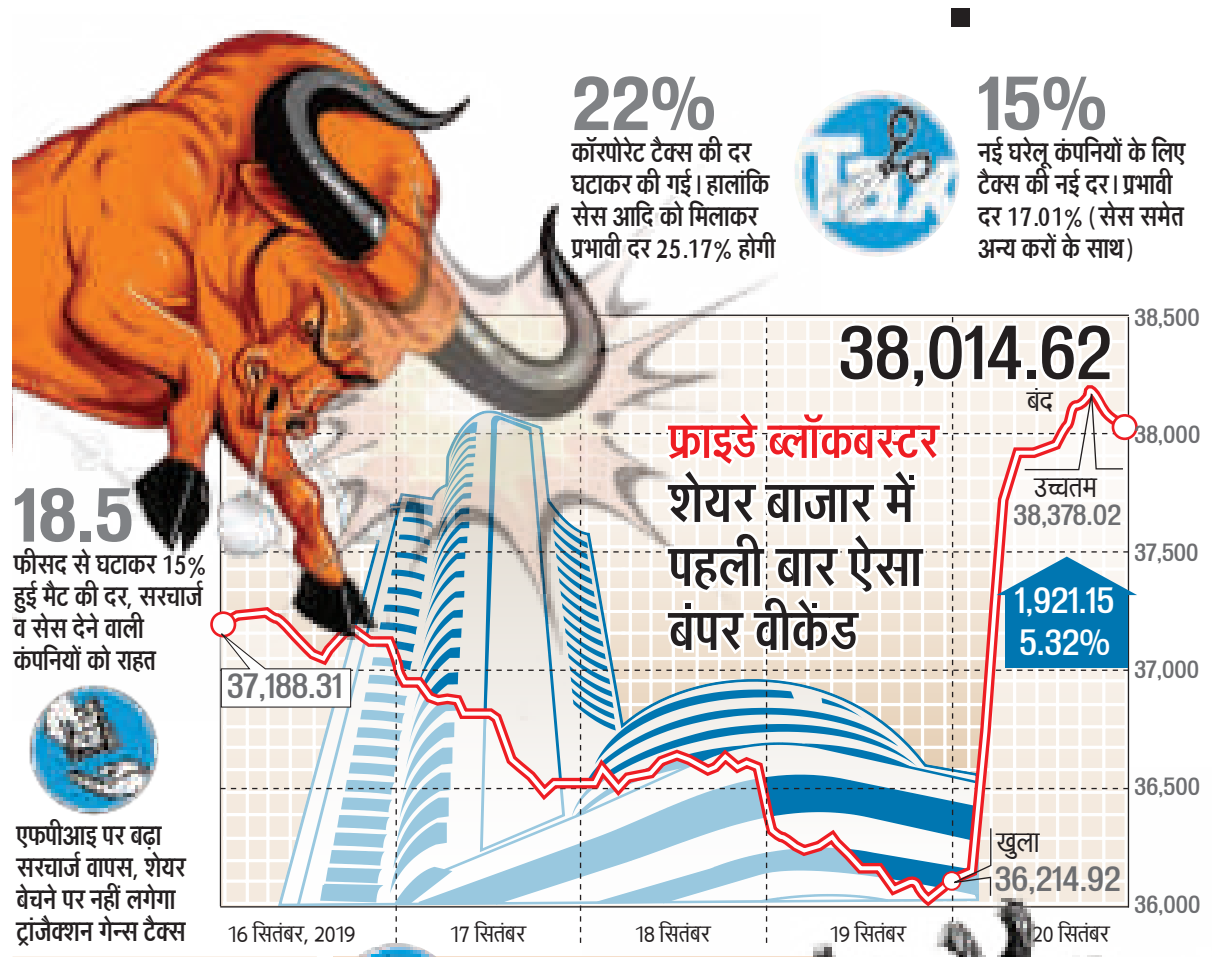

वर्तमान प्रभावी टैक्स दर		
टैक्स पूर्व लाभ (करोड़ रुपये)	कंपनियों की संख्या	प्रभावी टैक्स दर (% में)
जीरो से कम	3,62,289	00
जीरो	88,214	00
0-1	3,45,458	26.39
1-10	35,745	27.38
10-50	6,670	29.09
50-100	1,162	28.44
100-500	1,236	28.62
500 से अधिक	373	26.30
कुल	8,41,687	29.49

जुलाई, 2019 तक शेयर बायबैक की घोषणा कर चुकी कंपनियों पर नहीं लगेगा बायबैक टैक्स

1.45 लाख करोड़ रुपये की हानि होगी सरकार के राजस्व में इन घोषणाओं से

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती का फैसला ऐतिहासिक है। यह मेक इन इंडिया को बड़ी मदद करेगा और दुनियाभर से निजी निवेश भी आकर्षित करेगा। इससे निजी क्षेत्र की स्पर्धात्मकता बढ़ेगी, नए रोजगार सृजित होंगे और 130 करोड़ भारतीयों को लाभ मिलेगा। हाल के फैसले यह साबित करते हैं कि सरकार भारत को रोजगार के लिहाज से बेहतर स्थान बनाने और देश को पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कसर बाकी नहीं रख रही है। - नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

मौजूदा औसतन टैक्स दर	
आय	टैक्स दर (% में)
एक करोड़ रुपये तक	30.90
एक करोड़ से 10 करोड़ रुपये तक	33.6
10 करोड़ से अधिक	34.61

होटल, आउटडोर कैटरिंग सहित दर्जनभर सेवाओं और 20 वस्तुओं पर घटा जीएसटी

हरिकिशन शर्मा, पणजी : जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को पर्यटन, निर्यात व रोजगार देने वाले आधा दर्जन से अधिक क्षेत्रों से जुड़ी दर्जन भर सेवाओं और 20 वस्तुओं को जीएसटी में राहत देने का फैसला लिया। काउंसिल ने 7,500 रुपये से अधिक टैरिफ वाले होटल के कमरे पर जीएसटी की दर 28 से 18, आउटडोर कैटरिंग पर दर 18 से पांच फीसद (इनपुट टैक्स क्रेडिट के बगैर) करने का निर्णय लिया। कट एंड पॉलिस्ड सेमी प्रेसियस स्टोन पर जीएसटी तीन से 0.25 फीसद करने, सूखी इमली और पत्तियों से बने कप-प्लेट पर जीएसटी दर शून्य करने,नामांकित एजेंसियों द्वारा चांदी-प्लेटिनम आयात को जीएसटी से छूट देने का भी निर्णय लिया। काउंसिल ने कैफीनेटेड बेवरेज पर जीएसटी की दर 18 से 28 फीसद करने तथा 12 फीसद क्षतिपूर्ति सेस लेने का फैसला लिया। नई दरें एक अक्टूबर 2019 से लागू होंगी। काउंसिल ने कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले व्यापारियों और सालाना दो करोड़ तक टर्नओवर वाले व्यापारियों को जीएसटी का वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से छूट देने का फैसला भी लिया है। काउंसिल ने ऑटो सेक्टर की जीएसटी में राहत देने की मांग को दरकिनार कर दिया। हालांकि 10 से 13 यात्रियों को बिठाने की क्षमता वाले 1500 सीसी पेट्रोल और 4000 सीसी डीजल इंजन क्षमता व 4000 मिमी लंबाई वाले पैसेंजर वाहनों पर क्षतिपूर्ति सेस की दर 15 से घटाकर एक और तीन फीसद करने का निर्णय लिया।

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रमवार दी कटौती की जानकारी पेज>>3

सरोकार

हरियाणा के इस स्कूल में हर बच्चे के नाम पर एक पौधा

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित दादूपुर के राजकीय मिडिल स्कूल के प्रांगण में सैकड़ों पौधे लगे हैं। स्कूल के बच्चों ने ही इन्हें रोपा है और वे ही इनकी देखभाल करते हैं। हर पौधे पर एक बच्चे के नाम की पट्टिका लगी है। (पेज-10)

जागरण विशेष

हुआ कमाल, अब देसी भिंडी भी हुई लाल

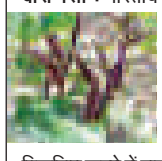

वाराणसी : भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने 23 साल की मेहनत के बाद आखिरकार भिंडी की नई प्रजाति 'काशी लालिमा' विकसित करने में सफलता पा ली है। लाल रंग की यह भिंडी एंटी ऑक्सीडेंट, आयरन और कैल्शियम सहित अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है। (पेज-10)

दुष्कर्म मामले में जेल भेजे गए चिन्मयानंद

जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर

- एसआइटी ने शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर कोर्ट में किया पेश
- पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में तीन अन्य को भी जेल, छात्रा भी नामजद

उप्र के शाहजहांपुर में शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को छात्रा से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार करके ले जाती एसआइटी की टीम। प्रेट्र

सभी वीडियो क्लिप की सत्यता प्रमाणित होने व साक्ष्यों के मिलान के बाद यह कार्रवाई की है। उन साक्ष्यों को दोनों पक्षों को भी दिखाया गया। -नवीन अरोड़ा, एसआइटी प्रभारी

सरकार के इशारे पर काम कर रही एसआइटी ने चिन्मयानंद को बचाने की पूरी कोशिश की। सख्त धाराएं नहीं लगाईं। रंगदारी मामले में मुझे संदिग्ध बताया जा रहा है। -पीड़िता

छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में घिरे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को आखिरकार शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। एसआइटी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में भी तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एसआइटी ने चिन्मयानंद से पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में तीनों के साथ-साथ छात्रा को भी नामजद किया है। खुद पर शिकंजा कसता देख गुरुवार देर रात एक बजे चिन्मयानंद शाहजहांपुर से भागने की फिराक में थे। एसआइटी को भनक लगी तो टीम वहां पहुंची और उन्हें मुमुक्षु आश्रम में रहने की हिदायत दी। सुबह एसआइटी प्रभारी नवीन अरोड़ा टीम के साथ आश्रम पहुंचे और 8.50 बजे चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया।

24 अगस्त को लगाए थे आरोप : चिन्मयानंद के आश्रम स्थित कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने 24 अगस्त को वीडियो वायरल कर उन पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) को सौंपी थी। इस दौरान चिन्मयानंद से कई बार पूछताछ हुई।

अपहरण के मुकदमे में जोड़ी गई दुष्कर्म की धाराएं : वीडियो वायरल करने के बाद छात्रा लापता हो गई थी। 27 अगस्त को छात्रा के पिता ने चिन्मयानंद पर उसके अपहरण का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। हालांकि 30 अगस्त को वह राजस्थान के होटल में मिल गई। इसके बाद एसआइटी को चिन्मयानंद के कुछ आपत्तिजनक वीडियो मिले। उनकी पुष्टि और कई अन्य साक्ष्य मिलने के बाद उसी मुकदमे में दुष्कर्म, धमकी देने की धाराएं बढ़ाईं और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

रंगदारी के आरोपितों को भी जेल : 24 अगस्त को चिन्मयानंद के वकील ने भी एक मुकदमा दर्ज किया कराया था, जिसमें कहा गया कि चिन्मयानंद के मोबाइल पर संदेश भेज उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगी गई और न देने पर बदनाम करने की धमकी दी गई। एसआइटी इसकी भी जांच कर रही थी। रंगदारी मांगने के आरोप में छात्रा के दोस्त संजय सिंह, संजय के तहेरे भाई दुर्गेश और मौसेरे भाई सचिन सेंगर को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तीनों से एसआइटी तीन दिन से पूछताछ कर रही थी। एसआइटी प्रभारी ने बताया कि छात्रा के दोस्त संजय सिंह, उसके भाई विक्रम सिंह उर्फ दुर्गेश व सचिन सेंगर ने स्वीकार किया कि दस सितंबर को जो वीडियो वायरल हुआ, उसमें वही लोग हैं। पांच करोड़ की रंगदारी मांगने की बात भी स्वीकारी। तीनों पर रंगदारी मांगने, धमकी देने, सुबूत नष्ट करने और आइटी एक्ट के तहत धाराएं लगाई गई हैं।

एसआइटी से चिन्मयानंद ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना- मैं शर्मिंदा हूं पेज>>7

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट पहुंच से दूर नहीं

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के कारण हाई कोर्ट का आम लोगों की पहुंच से दूर होने के आरोपों का जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट समर्थन नहीं करती। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने याचिकाकर्ता से कहा कि जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट उन्हें मिल गई है और उन्होंने रिपोर्ट देखी है। रिपोर्ट आरोपों का समर्थन नहीं करती। हालांकि कोर्ट ने मामला बच्चों से जुड़ा हुआ होने के कारण हाई कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी को याचिका में कही गई बातों पर संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। मामले पर एक सप्ताह बाद फिर सुनवाई होगी।

जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के मामले में पिछली सुनवाई पर जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील हुजेफा अहमदी से मामले को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के समक्ष उठाने को कहा था तो वकील का कहना था कि हाई कोर्ट पहुंचना कठिन है। जिस पर मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उनसे कहा था कि आप जो कह रहे हैं अगर वह बात सही है तो मामला गंभीर है और वह इस बात की जांच करेंगे। (पेज-5 भी देखें)

बच्चों के हिरासत में होने का मामला

- सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को मिली जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट
- हाई कोर्ट पहुंच से दूर होने के आरोप का समर्थन नहीं करती जम्मू-कश्मीर के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट : गोगाई

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मामले पर रिपोर्ट मांगी थी

शीर्ष अदालत ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कामकाज के बारे में रिपोर्ट मांगी थी। शीर्ष अदालत ने कहा, जम्मू कश्मीर से उन्हें कुछ विरोधाभासी रिपोर्ट भी मिली है जिसकी जांच की जरूरत है। कोर्ट ने कहा, वह फिलहाल रिपोर्ट पर टिप्पणी नहीं कर रहे। हालांकि सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि बच्चों के मामले में किसी भी कार्यवाही से पहले जेजे बोर्ड को बताया जाता है। अर्जी में हिरासत में लिए गए 18 वर्ष के कम उम्र के नाबालिगों के बारे में जेजे कमेटी से संज्ञान लेने का निर्देश मांगा गया था।

एनआरआइ व्यापारी मुबीन अहमद शाह की हिरासत पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एनआरआइ व्यापारी मुबीन अहमद शाह की हिरासत पर जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस शाह की पत्नी की ओर से पति की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। हालांकि सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने नोटिस जारी करने का विरोध करते हुए कहा कि शाह को गत 7 अगस्त को हिरासत में लिया गया था। उसके भाई ने भी एक ऐसी ही याचिका हाई कोर्ट में दाखिल कर रखी है जिस पर हाई कोर्ट नोटिस भी जारी कर चुका है, लेकिन शाह की पत्नी की ओर से कहा गया कि भाई की ओर से याचिका नहीं दाखिल की गई है।

बड़े आसार

आर्थिक माहौल में नई जान फूंकने के लिए सरकार के पिटारे से अभी और भी कुछ निकलेगा, ऐतिहासिक फैसले से साफ है कि भारत अब प्रतिस्पर्धी देशों के पीछे चलने के मूड में नहीं है

इस तुरुप के पत्ते से बदल जाएगा माहौल

नितिन प्रधान, नई दिल्ली

पिछले एक महीने में लगातार छोटी-बड़ी कोशिशें और फिर एक ऐसा वार जो सबको चौंकाए भी और उत्साहित भी करे। कॉरपोरेट टैक्स के जरिये कंपनियों को राहत देने के सरकार के फैसले ने एक झटके में भारत को न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बना दिया है, बल्कि घर के अंदर भी निराशा का माहौल तत्काल खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, नई कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर को 15 परसेंट पर रखने से भारत का मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर विदेशी निवेश आकर्षित करने के मामले में चीन से भी एक कदम आगे जा खड़ा हुआ है। शुक्रवार को उठाए गए सरकार के कदमों से स्पष्ट है कि वह अब प्रतिस्पर्धी देशों के पीछे चलने के मूड में नहीं है, बल्कि वह औद्योगिक क्षेत्र को विस्तार देने के लिए दुनिया के सामने नए बेंचमार्क बनाने को तैयार है।

प्रतीकात्मक

आसियान देशों के साथ साथ चीन अब तक मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर में विदेशी कंपनियों को टैक्स की निचली दरों के सहारे आकर्षित करता रहा है। हाल ही में चीन ने उच्च तकनीकी क्षेत्र में मैन्यूफैक्चरिंग इकाई लगाने वाली कंपनियों के लिए टैक्स की निचली दरों का प्रस्ताव किया था, लेकिन भारत ने उससे एक कदम आगे जाते हुए 15 परसेंट कॉरपोरेट टैक्स के दायरे में पूरे मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर को ला दिया है। सरकार के भीतर इस बात को लेकर पूरा भरोसा है कि यह निर्णय भारत के औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर बदल देगा।

इसका सबसे बड़ा असर यह होगा कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मैन्यूफैक्चरिंग के मानचित्र में एक आकर्षक डेस्टिनेशन के तौर पर उभर पाएगा। इससे उन्नत टेक्नोलॉजी आएगी, बल्कि विदेशी निवेश का प्रवाह भी बढ़ेगा। यह अभी अंत नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार के पिटारे से अभी बहुत कुछ निकलना बाकी है, जो देश को पूरी दुनिया में निवेश का सर्वाधिक पसंदीदा देश बना सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान इसके संकेत भी मिल सकते हैं। सरकार ही नहीं इंडस्ट्री के नामचीन भी मान रहे हैं कि मेक इन इंडिया प्रयासों को रफ्तार देने के लिए इससे बड़ा कदम नहीं हो सकता। चीन से दूरी बनाती कंपनियों के लिए भारत बहुत बड़ा आकर्षण साबित होगा।

एक और बैंक घोटाला उजागर

- 3,635 करोड़ रुपये के बकाये की वसूली में जुटे 14 सरकारी बैंक

नई दिल्ली, आइएएनएस : मुंबई की गैर सूचीबद्ध कंपनी फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड ने 14 सरकारी बैंकों के समूह को 3,635 करोड़ का चूना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में बैंकों के संघ ने इस डिफॉल्टर कंपनी से बकाया कर्ज की वसूली की प्रक्रिया शुरू की है। इसको हाल के महीनों में सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक बताया जा रहा है। इसकी तुलना नीरव मोदी, मेहुल चोकसी से की जा रही है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर बैंक से कर्ज लेकर उसका भुगतान नहीं किया है।

बैंकिंग संघ में बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, आंध्र बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, विजया बैंक, इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया शामिल हैं। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रमशः 606.17 और 526.05 करोड़ बकाया है।

कंपनी का कारपोरेट ऑफिस कानपुर में : फ्रॉस्ट इंटरनेशनल का रजिस्टर्ड ऑफिस मुंबई के बांद्रा कुर्ला कांप्लेक्स में है। उसका मुख्यालय और इंटरनेशनल मार्केटिंग डिविजन नई दिल्ली में है। इस कंपनी का कारपोरेट ऑफिस कानपुर में है। वसूली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए बैंकों के संघ ने कंपनी पर नोटिस चस्पा कर मुंबई के कुछ प्रमुख इलाकों में अचल संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी है। इनमें ग्लोब एग्जिम प्राइवेट के स्वामित्व वाले अंधेरी ईस्ट में कार पार्किंग स्लॉट के साथ चार कार्यालय और ओबेरॉय चेम्बर्स-1 में एक से चार दुकानें शामिल हैं। इसी परिसर में दुकान नंबर 101 से 108 तक की दुकानों को भी चेतावनी जारी की गई है। बैंकों के संघ ने बकाएदारों को बकाए के भुगतान के लिए 60 दिन का समय दिया है।

कश्मीर पर पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा, भारत का कद उतना उठेगा

न्यूयॉर्क : संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मसले पर पाक जितना नीचे गिरेगा, भारत का कद उतना ऊपर उठेगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने यह दावा किया। साथ ही चेताया कि अतीत में आतंकवाद को सामान्य बताने की कोशिश करने वाला पाक अब नफरत फैलाने वाले भाषण को भी मुख्यधारा में लाने का प्रयास कर सकता है। (पेज-13)

ट्विटर ने छह देशों में बंद किए 10 हजार से ज्यादा अकाउंट

नई दिल्ली : सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने छह देशों में 10 हजार से ज्यादा अकाउंट बंद कर दिए हैं। गलत जानकारियां देने और प्रचार करने के लिए इन अकाउंट्स का दुरुपयोग किया जा रहा था। इनमें सऊद अल खातनी का ट्विटर अकाउंट भी शामिल है। खातनी को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान का विश्वस्त माना जाता है। (पेज-13)